

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 889 / 2019

सुमेर सिंह

—अपीलार्थी

## बनाम

1. निदेशक जरिये निदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, निदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर।
4. श्री एन.आर.के. रेड्डी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.04.2019

आदेश की दिनांक : 19.05.2023

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजीव सुराना, अधिवक्ता

प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 26.03.2010 को सहायक जेलर के पद पर हुई थी। सहायक जेलर के पद को उप जेलर के पद के लिए पुनः नामित किया गया। सहायक जेलर का पद अब समाप्त कर दिया गया है। जेलर का पद फीडर पद है तथा जेलर के पद पर नियुक्त व्यक्ति को फीडर पद (उप जेलर) से पदोन्नति के माध्यम से ही नियुक्त किया जाना है, जिसके पास उप पद पर 5 वर्ष का अनुभव हो। प्रत्यर्थागण ने नियमावली 1998 के नियम 25 एवं दिनांक 22.02.2019 (अनुलग्नक-1) द्वारा जारी चयन सूची के अनुसार अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु पात्र माना है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 08 पर अंकित है, जिसमें वरिष्ठता संख्या 27 एवं रोल नं. 108 है। प्रत्यर्थागण ने नियम 1998 के नियम 36 के अनुसार जेलर के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षा दो भाग में विभाजित किया गया, जिसमें 100 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 100 अंकों की आडटडोर परीक्षा शामिल है। अपीलार्थी ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित लिखित परीक्षा एवं 01.03.2019 को शारीरिक परेड परीक्षा में भाग लिया क्योंकि अपीलार्थी ने परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए थे। जेलर के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा का परिणाम आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2019 (अनुलग्नक-2) द्वारा जारी कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम बिना किसी कारण के हटा दिया गया क्योंकि अपीलार्थी के साक्षात्कार के अंकों को परिणाम में नहीं जोड़ा गया। प्रत्यर्थागण ने दिनांक 19.01.2019 (अनुलग्नक-5) द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम,

1958 के नियम 13 के तहत अपीलार्थी को निलम्बित करने और उसे उस मुख्यालय महानिदेशालय कारागार, जयपुर पदस्थापित किया गया। जेलर के पदोन्नति हेतु रिक्त पदों की संख्या 33 है, जिसमें सामान्य 24, अनुसूचित जाति 07 एवं अनुसूचित जनजाति 02 पद है, जिनमें से सामान्य के 24 में से 21 पद पदोन्नति से भरे गए हैं, अनुसूचित जाति के 7 में से 3 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 02 में से एक पद भरा गया है। अपीलार्थी द्वारा निलम्बन की आदेश की प्रति एवं जेल से बरामद मोबाईल के संबंध में घटी घटना की समाचार की प्रति प्रस्तुत की गई (अनुलग्नक-6)। अपीलार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर जेल का सम्पूर्ण चार्ज मुख्य प्रहरी को दे दिया गया, जो अनुलग्नक-7 एवं 8 से स्पष्ट है। अपीलार्थी ने प्राप्त अंकों के लिए आरटीआई प्रस्तुत की, लेकिन उसकी प्रति विभाग द्वारा नहीं दी गई (अनुलग्नक-9)। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2019 (अनुलग्नक-2) द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति सूची में शामिल करने की सीमा तक संशोधित कर उप जेलर से जेलर के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं जेलर के पद पर दिए जाने वाले सभी पारिणामिक लाभ दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी दिनांक 26.03.2010 को सहायक कारापाल पद पर कारागार विभाग में नियुक्त हुआ। आदेश दिनांक 19.01.2019 के द्वारा अपीलार्थी को उप कारापाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन होने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया। सदस्य सचिव एवं अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के पत्र दिनांक 22.02.2019 के द्वारा उप कारापाल से कारापाल पद पर पदोन्नति हेतु संवीक्षा परीक्षा 2018-2019 हेतु पात्र कार्मिकों की जारी की गयी सूची में अपीलार्थी उप कारापाल का नाम क्रम संख्या-08 पर अंकित था, जिसमें कार्मिक रोल नंबर 108 आवंटित किये गये तथा वरिष्ठता सूची क्रमांक-27 पर अंकित था। उप कारापाल से कारापाल पद पर पदोन्नति संवीक्षा परीक्षा 2018-19 हेतु पात्र कार्मिकों की लिखित परीक्षा दिनांक 28.02.2019 को आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी उप कारापाल लिखित परीक्षा हेतु उक्त दिनांक को उपस्थित हुआ तथा अपीलार्थी द्वारा लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत प्राप्त करने पर दिनांक 01.03.2019 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा में संकलित रूप से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर अपीलार्थी को साक्षात्कार परीक्षा हेतु दिनांक 01.03.2019 को आमंत्रित किया गया। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश दिनांक 26-8-2004 के

अनुसार साक्षात्कार एवं सेवाभिलेख के 25-25 अंक कुल 50 अंक निर्धारित किये गये हैं तथा सेवाभिलेख एवं साक्षात्कार में न्यूनतम 45. प्रतिशत (22.5 अंक) प्राप्त करने वाले को उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं। कार्मिक द्वारा सेवाभिलेख एवं साक्षात्कार के न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने के कारण अपीलार्थी को उप कारापाल से कारापाल पद पर पदोन्नति संवीक्षा 2018-2019 में अनुत्तीर्ण किया गया (अनुलग्नक-आर/1)। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को उप जेलर से जेलर के पद पर पदोन्नति हेतु साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण किए जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि वर्ष 2018-19 में कारापाल के रिक्त पदों हेतु आयोजित परीक्षा में अपीलार्थी द्वारा भाग लिया गया, जिसमें अपीलार्थी के अच्छे सर्विस रिकार्ड न होने के कारण साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी उप कारापाल से कारापाल के पद पर समस्त योग्यताएं हासिल करता है। वर्ष 2018-19 की पदोन्नति परीक्षा में उप कारापाल से कारापाल के सामान्य श्रेणी के 27 रिक्त पदों के विरुद्ध 25 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध पदों में से पदोन्नति प्रक्रिया के पश्चात् भी पद रिक्त है। अपीलार्थी को साक्षात्कार में जानबूझकर अनुत्तीर्ण किया गया है। विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि समस्त पदोन्नति प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित की गई है। साक्षात्कार में बोर्ड द्वारा नियमानुसार ही अपीलार्थी को अंक प्रदान किए गए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी को सेवाभिलेख एवं साक्षात्कार परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने के कारण पदोन्नति संवीक्षा वर्ष 2018-19 में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, इसमें कार्मिक के निलम्बित होने का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश दिनांक 26-8-2004 के अनुसार साक्षात्कार एवं सेवाभिलेख के 25-25 अंक कुल 50 अंक निर्धारित किये गये हैं तथा सेवाभिलेख एवं साक्षात्कार में न्यूनतम 45. प्रतिशत (22.5 अंक) प्राप्त करने वाले को उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं। कार्मिक द्वारा सेवाभिलेख एवं साक्षात्कार के न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने के कारण अपीलार्थी को उप कारापाल से कारापाल पद पर पदोन्नति संवीक्षा 2018-2019 में अनुत्तीर्ण किया गया। राजस्थान जेल सेवा में पदोन्नति से संबंधित प्रावधान नियम 36 में निम्नानुसार है:-

36. Procedure for selection:-- (1) (1) (a) After the vacancies to be filled by promotion determined under 14, the Board referred to in Rule 32 of these Rules shall be constituted: Provided that in case of promotion of

Deputy Jailors to the post of Jailors, the Chairman of the Board shall be the Appointing Authority. (b) The Board shall prepare correct and complete list containing names not exceeding three times the number of vacancies out of the senior most eligible members of Service, who have passed part-I of qualifying examination specified in rule 36 (2) by obtaining 40% marks in parade and other out-door tests and 40% marks in written test with 45% marks in aggregate for promotion to the class of post concerned:

provided that there shall be no part-I qualifying examination for promotion to posts of factory Supervisors, Assistant Factory Supervisors, Vocational Teachers and Teacher Gr. II. (II) the Board (s) constituted under this rule shall consider the cases of all the persons included in the list, interviewing all of them who present themselves for interview and shall prepare the list containing names of suitable candidates in order of seniority, who secure 45% marks in qualifying examination Part-II and, where qualifying examination Part-I is also prescribed, 50% aggregate of the total marks of the qualifying examination Parts-I and II, upto one and half times the number of such posts as are specified by the Appointing Authority from time to time and as are determined to be filled under rule 14 or select one more person if the number of vacancies is only one. In interviewing candidates for promotion regard shall be had to the following factors: (i) That they have passed Part-I qualifying examination, where prescribed; (ii) Their previous record of service (good and bad entries); (iii) Integrity (iv) Intelligence, tact and energy; (v) Technical and general knowledge; (vi) Experience and efficiency; (vii) Personality and character; (viii) Physical fitness and capacity to discharge duties of the post to which promotion is to be made including aptitude to undertake extensive tours; and (ix) Practical knowledge of relevant laws and procedures. (III) All candidates included in the lists prepared by the Board(s) under rule 36(1)(II) shall be required to undergo the prescribed promotion cadre course, for which the candidates shall be nominated in accordance with seniority: Provided that such candidates as have been unable to attend or complete the promotion cadre course for reasons beyond their control, shall be allowed to attend the next promotion cadre course, without incurring any loss of seniority; Explanation:--In case any question arises as to whether a candidate could not proceed for promotion cadre course or

complete it for reasons beyond his control, the decision of the Appointing Authority shall be final. (IV) Names of the candidates, who have successfully completed the promotion cadre course, shall be placed on the approved list, for promotion in order of seniority. The candidates who have failed to successfully complete the promotion cadre course on first attempt shall be given one more chance for passing the promotion cadre course examination and their inter se seniority, on successfully completing the course, would remain intact. (V) The candidates who fail to attend/complete the promotion cadre course when nominated or who are unable to successfully complete the promotion cadre course as provided in sub-rules (III) and (IV) above, shall not be eligible to undergo another promotion cadre course except on the basis of the recommendations of a new Board. (VI) The approved List so prepared shall come into force only when persons of previous approved list have been appointed.

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए जाने से उप कारापाल से कारापाल पद पर पदोन्नति हेतु अभिषंशा नहीं की गई है। अपीलार्थी यह बताने में सफल नहीं रहा है कि उसे किसी दुर्भावना से जानबूझकर या पक्षपात पूर्ण तरीके से अनुत्तीर्ण किया गया हो। पदोन्नति प्रक्रिया में अन्य कार्मिकों की तरह अपीलार्थी को भी समस्त समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अतः इस पदोन्नति प्रक्रिया में हम किसी तरह का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है। उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 19.05.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)